



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 910] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 19, 2018/अग्रहायण 28, 1940
No. 910] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2018/AGRAHAYANA 28, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1222(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार **हरियाणा** सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (i) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियमावली, 2018 कहा जाएगा।
(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 की अनुसूची-II में
(क) सूची में भाग-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पदों में, प्रथम कॉलम में आने वाली 'हरियाणा' प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में समवर्ती प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

“हरियाणा

सरकार के मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
अपर मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
वित्तीय आयुक्त / प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राज्यपाल के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिदेशक, राज्य परिवहन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मण्डलायुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
परिवहन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
हरियाणा के स्थानिक आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिदेशक, कृषि	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिदेशक, शाहरी एवं ग्रामीण नियोजन-सह-शहरी संपदा एवं कॉलोनीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिदेशक, उच्च शिक्षा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिदेशक, उद्योग और वाणिज्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
श्रम आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिदेशक/आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क, सांस्कृतिक मामले, भाषाएं और शिकायतें	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14”

(ख) सूची-II-ख में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ मान में वेतन वाले पदों में हरियाणा के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य अधिकारी
निदेशक/परियोजना निदेशक
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
निदेशक, खाद्य और आपूर्ति
निदेशक, खेल और युवा मामले
निदेशक, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण
निदेशक, महिला एवं बाल विकास
निदेशक, आतिथ्य और पर्यटन
निदेशक, समेकन, भूमि अभिलेख और विशेष समाहर्ता
निदेशक, विकास और पंचायत
निदेशक, ग्रामीण विकास
निदेशक, आपूर्ति और निपटान
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण
निदेशक, पर्यावरण

निदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण
निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान
मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव
अतिरिक्त स्थानिक आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली
अपर श्रम आयुक्त
अपर निदेशक
सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग
सचिव, हरियाणा स्कूली शिक्षा बोर्ड, भिवानी
उपायुक्त
अपर उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/अतिरिक्त समाहर्ता
अपर उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त

[फा. सं. 11031/08/2015-अ.भा.से.-II(ख)]

ज्योत्सना गुप्त, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान विनियम दिनांक 08 सितम्बर, 2016 के सा.का.नि. 870(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. सं. तथा तारीख द्वारा संशोधित किए गए थे।

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	1062 (अ)	10.11.2016
2.	1178(अ)	27.12.2016
3.	1194(अ)	30.12.2016
4.	575(अ)	12.06.2017
5.	1382(अ)	10.11.2017
6.	1429(अ)	17.11.2017
7.	1585(अ)	22.12.2017
8.	566(अ)	15.06.2018
9.	819(अ)	28.08.2018

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2018

G.S.R. 1222(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Haryana** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely: —

- (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—
- (a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “Haryana” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

“Haryana

Chief Secretary to the Government	Level 17 in the pay matrix
Additional Chief Secretary-cum- Financial Commissioner	Level 17 in the pay matrix
Principal Secretary to the Chief Minister	Level 17 in the pay matrix
Financial Commissioner/Principal Secretary	Level 15 in the pay matrix
Special Principal Secretary to Chief Minister	Level 15 in the pay matrix
Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Governor	Level 14 in the pay matrix
Chief Electoral Officer	Level 14 in the pay matrix
Registrar, Co-operative Societies	Level 14 in the pay matrix
Director General State Transport	Level 14 in the pay matrix
Commissioners of Divisions	Level 14 in the pay matrix
Transport Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Excise and Taxation Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Resident Commissioner, Haryana	Level 14 in the pay matrix
Director General, Agriculture	Level 14 in the pay matrix
Director General, Town & Country Planning –cum-Urban Estate and Colonization	Level 14 in the pay matrix
Director General, Higher Education	Level 14 in the pay matrix
Director General, Technical Education	Level 14 in the pay matrix
Director General, Industries & Commerce	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Food and Drugs Administration	Level 14 in the pay matrix
Labour Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Director General/Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Director General, Information, Public Relations, Cultural Affairs, Languages and Grievances	Level 14 in the pay matrix
Director General, Urban Local Bodies	Level 14 in the pay matrix
Additional Principal Secretary to Chief Minister	Level 14 in the pay matrix”

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Haryana the following shall be substituted,—

“Spl.Secy/Addl.Secy./Jt. Secy/ Officer on Special Duty
Director/Project Director
Director Secondary Education
Director Elementary Education
Director Food & Supplies
Director Sports & Youth Affairs
Director Social Justice & Empowerment
Director Women & Child Development
Director Hospitality & Tourism
Director Consolidation, Land Records & Special Collector
Director Development & Panchayat
Director Rural Development
Director Supplies & Disposals
Director Industrial Training
Director Environment
Director Welfare of Schedule Castes & Backward Classes
Director Medical Education & Research
Deputy Principal Secretary to Chief Minister
Additional Resident Commissioner, Haryana Bhawan, New Delhi
Additional Labour Commissioner
Additional Director
Secretary, Haryana Public Service Commission
Secretary, Haryana Board of School Education, Bhiwani
Deputy Commissioner
Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Executive Officer, District Rural Development Agency/Additional Collector
Additional Excise and Taxation Commissioner”

[F. No.11031/08/2015-AIS-II(B)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number GSR 870(E) dated the 08th September, 2016 and subsequently amended by the following G.S.R. No. and date:—

Sl.No.	G.S.R. No.	Date
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016
3.	1194(E)	30.12.2016
4.	575(E)	12.06.2017
5.	1382(E)	10.11.2017
6.	1429(E)	17.11.2017
7.	1585(E)	22.12.2017
8.	566(E)	15.06.2018
9.	819(E)	28.08.2018